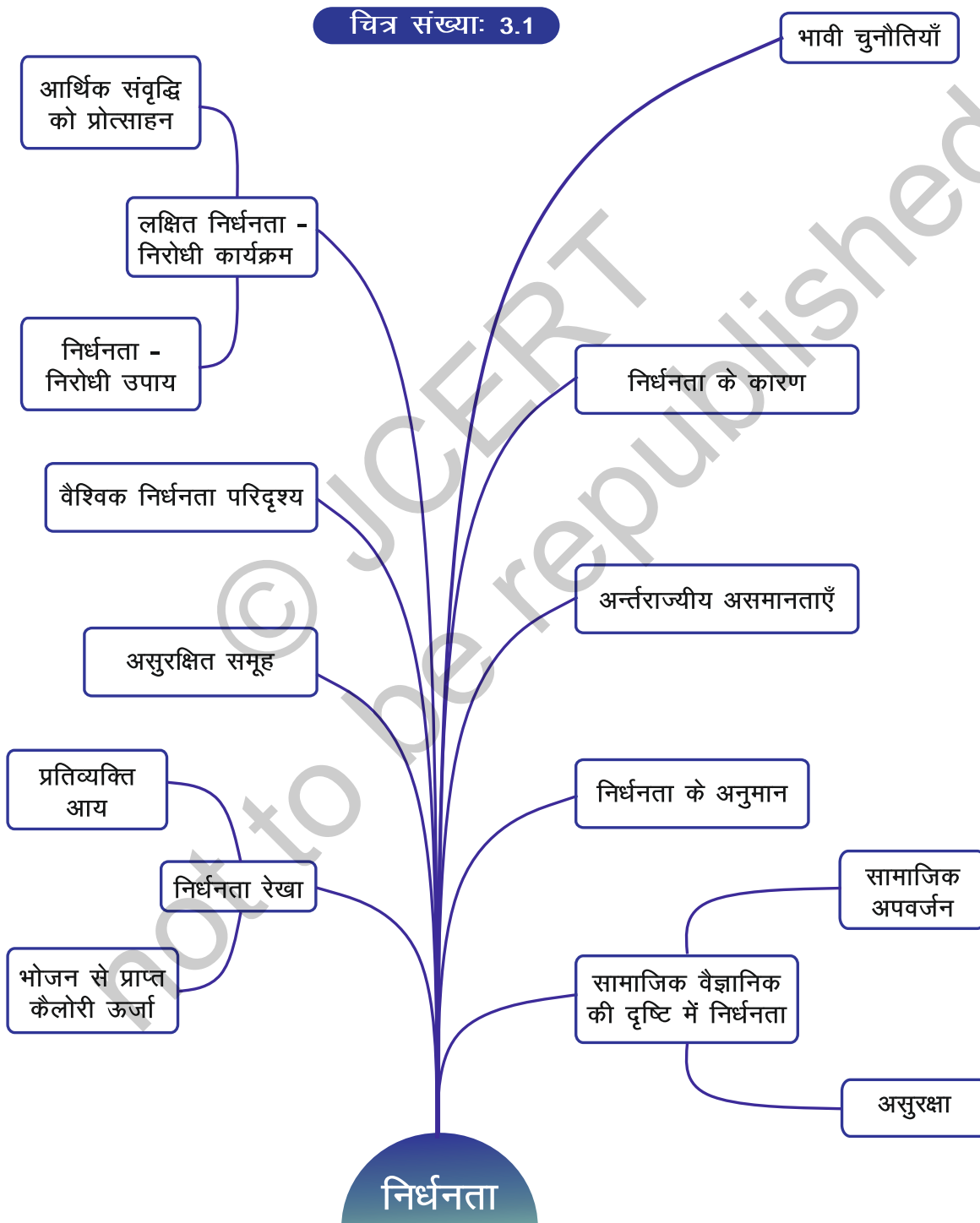


चित्र संख्या: 3.1



1. परिचय

आजादी के सात दशक के बाद भी निर्धनता देश के लिए एक चुनौती बनी हुई है। निर्धनता निवारण हमारी सभी पंचवर्षीय योजना में प्रमुख लक्ष्य रहा है परंतु इन प्रयासों के बावजूद हम इस समस्या से उबर नहीं पाए हैं। विश्व की कुल निर्धन आबादी का पांचवा हिस्सा भारत में निवास करता है। देश में 30 करोड़ से अधिक लोग निर्धन हैं।

2. सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता

निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं, जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है।

सामाजिक अपवर्जन	असुरक्षा
इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, जिनका उपभोग दूसरे (उनसे अधिक अच्छे) करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति-व्यवस्था की कार्य-शैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार, सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुँचा सकता है।	निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों (जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य) या व्यक्तियों (जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा, इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, सुनामी), आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में, जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है।

3. निर्धनता रेखा :-

विभिन्न देश आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरे हैं, इसलिए वहां के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भी अलग-अलग होती हैं। इसलिए निर्धनता रेखा अलग-अलग राष्ट्रों में अलग-अलग होती है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के संदर्भ में 'राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन' (NSSO) (सामान्यतः हर पाँच वर्ष पर) के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा किया जाता है। यह निर्धारण विशेषज्ञ समितियों के सुझाव के आधार पर होता है।

- पहली बार गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास योजना आयोग द्वारा 1962 ई. में किया गया।
- इसने प्रचलित मूल्य (1960-61) के आधार पर प्रतिव्यक्ति 20 रुपये मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना था।
- 1971 ई. में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण 'रथ एवं दांडेकर समिति' ने किया।
- इसने आमदनी के बजाय भोजन में कैलोरी खपत को आधार बनाया।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी तथा नगरीय क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना।
- भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रतिव्यक्ति मौद्रिक व्यय को, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला पांच सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा, यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रतिमाह से कम है। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी।

- **तेंदुलकर समिति :-** 2005 में प्रो. सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गरीबी रेखा निर्धारण की समिति का गठन किया गया।
- न्यूनतम पोषण आवश्यकता के मानक को अस्वीकार कर आवश्यक वस्तुओं पर व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया।
- 'उपभोग बॉस्केट' की अवधारणा प्रस्तुत की।
- गरीबी रेखा का निर्धारण खाद्यान्न के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं का काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर किया।

- गरीबी रेखा शमिश्रित संदर्भ अवधि' पर आधारित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में व्यक्त की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम व्यय 24 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 33 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन को गरीबी रेखा माना।

5. निर्धनता के अनुमान :-

भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45 प्रतिशत से वर्ष 2004-05 में 37.2 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 22 प्रतिशत पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों (1973-93) में गिरा है, निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 जिसमें औसतन गिरावट 2.2 प्रतिशत वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच में हुई है।

तालिका 3.1 भारत में निर्धनता के अनुमान (तेंडुलकर कार्यप्रणाली)

वर्ष	निर्धनात अनुपात			निर्धनों की संख्या		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त योग
1993-94	50	32	45	329	75	404
2004-05	42	26	37	326	81	407
2009-10	34	21	30	278	76	355
2011-12	26	14	22	217	53	270

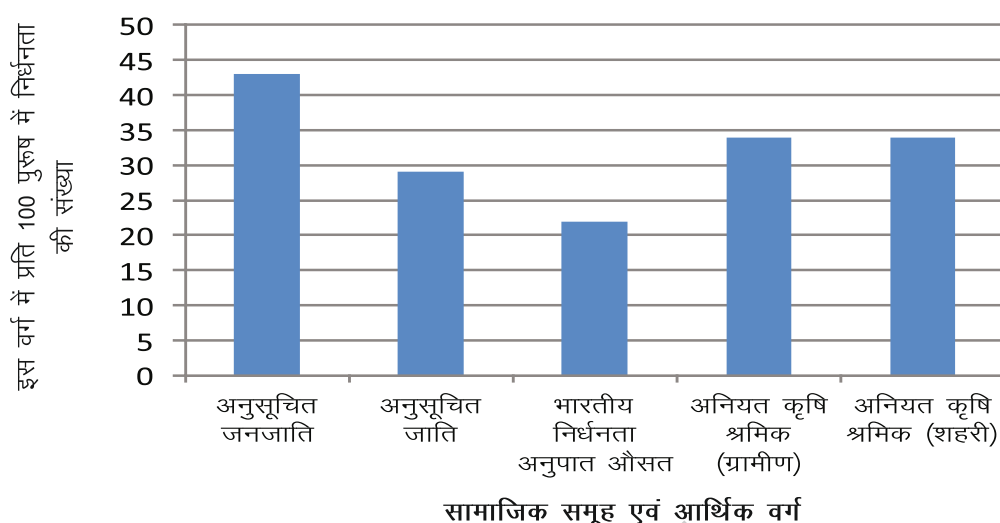
स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18

6. असुरक्षित समूह :-

निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं।

इसी प्रकार, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 हैं, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34 प्रतिशत अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34 प्रतिशत अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधार्थी सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है।

आरेख 3.1:— भारत में निर्धनता: 2011-12 सर्वाधिक असुरक्षित समूह

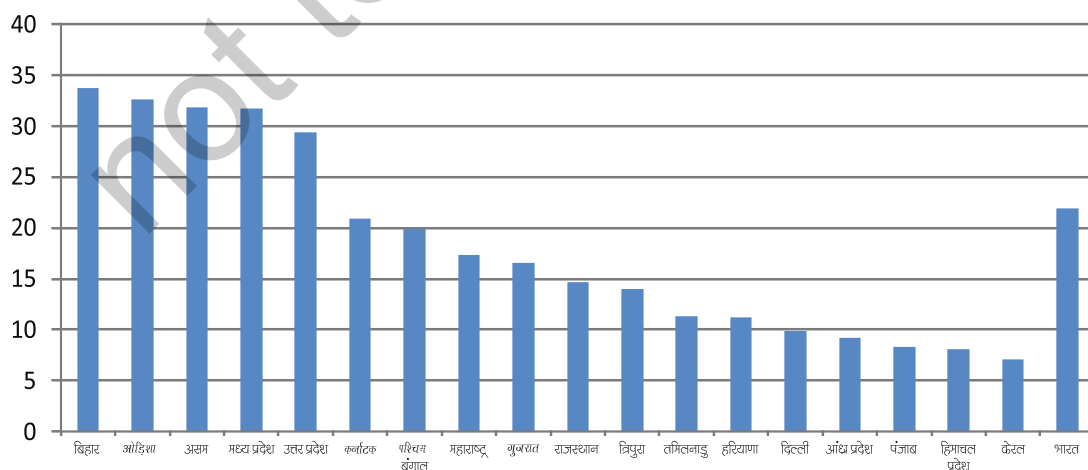


6. अंतर्राज्यीय असमानताएँ :-

भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22 प्रतिशत है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। बिहार और ओडिशा क्रमशः 33.7 और 32.6 प्रतिशत निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है।

इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है।

आरेख 3.2:— भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात (2011 की जनगणना के अनुसार)



7. वैश्विक निर्धनता परिदृश्य :-

विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता (विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन \$ 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना) में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36 प्रतिशत से गिर कर 2015 में 10 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3 प्रतिशत से घट कर 2008 में 14.7 प्रतिशत और वर्ष 2015 में 0.7 प्रतिशत रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्ला देश, भूटान) में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34 प्रतिशत से गिरकर 2013 में 16.2 प्रतिशत हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलीयन से घट कर 2013 में 274.5 मिलीयन रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान अधिक हैं।

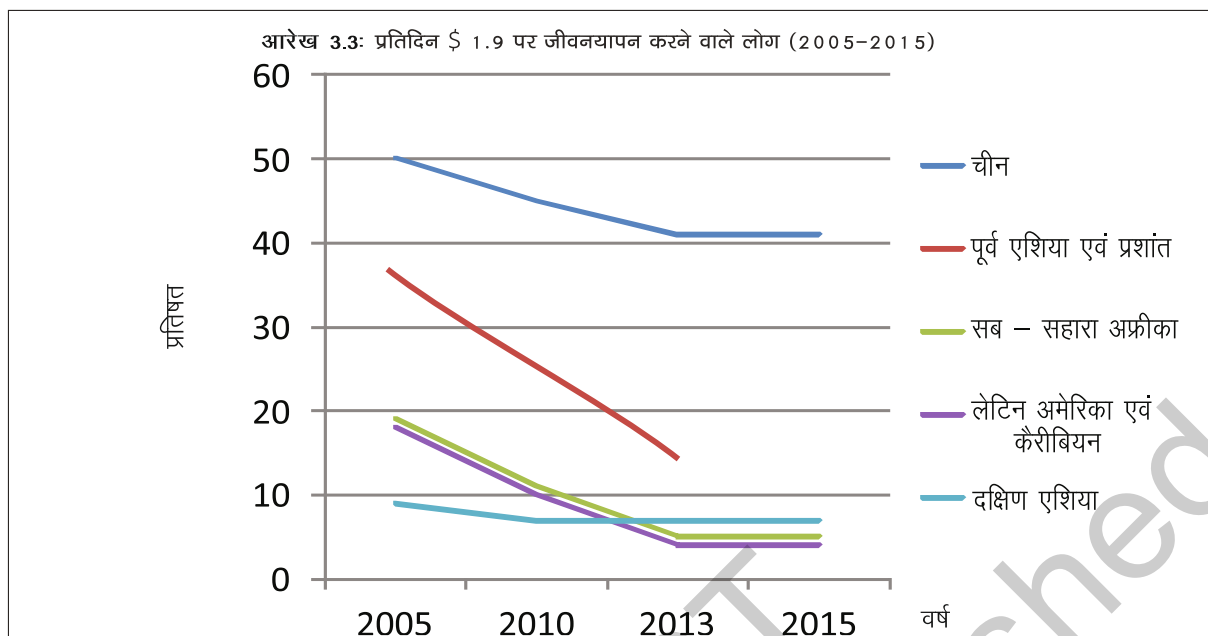
सब-सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51 प्रतिशत से घटकर 2015 में 41 प्रतिशत हो गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10 प्रतिशत से गिर कर 2015 में 4 प्रतिशत रह गई है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा (अर्थात् \$ 1.9 डालर प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या) की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नये सतत् विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है।

तालिका 3.2 निर्धनता हैडकाउंट अनुपात : कुछ चुनिंदा देशों के

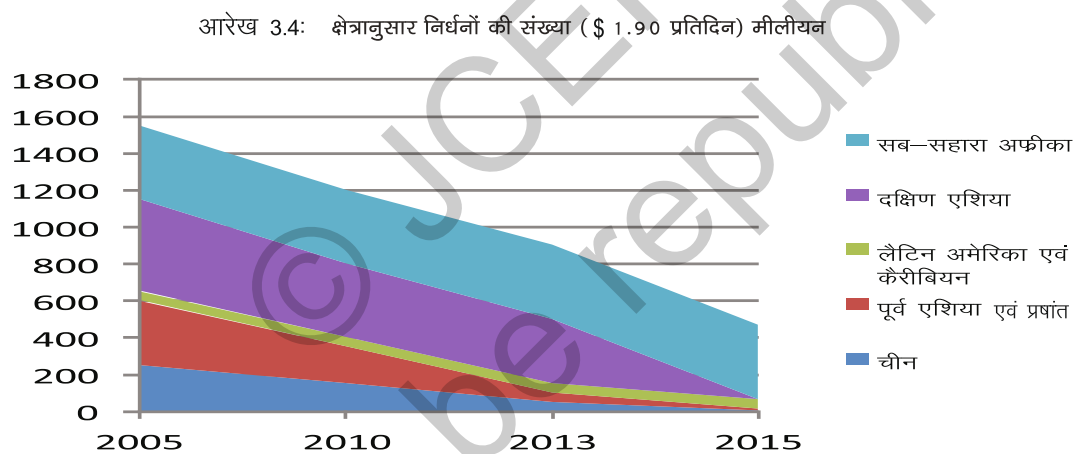
बीच तुलना

देश	प्रतिदिन \$ 1.9 से कम पाने वालों की संख्या
1. नाइजीरिया	53.5 (2009)
2. बांग्लादेश	14.8 (2016)
3. भारत	21.2 (2011)
4. पाकिस्तान	4.0 (2015)
5. चीन	0.7 (2015)
6. ब्राजील	4.8 (2017)
7. इंडोनेशिया	5.7 (2017)
8. श्रीलंका	0.8 (2016)

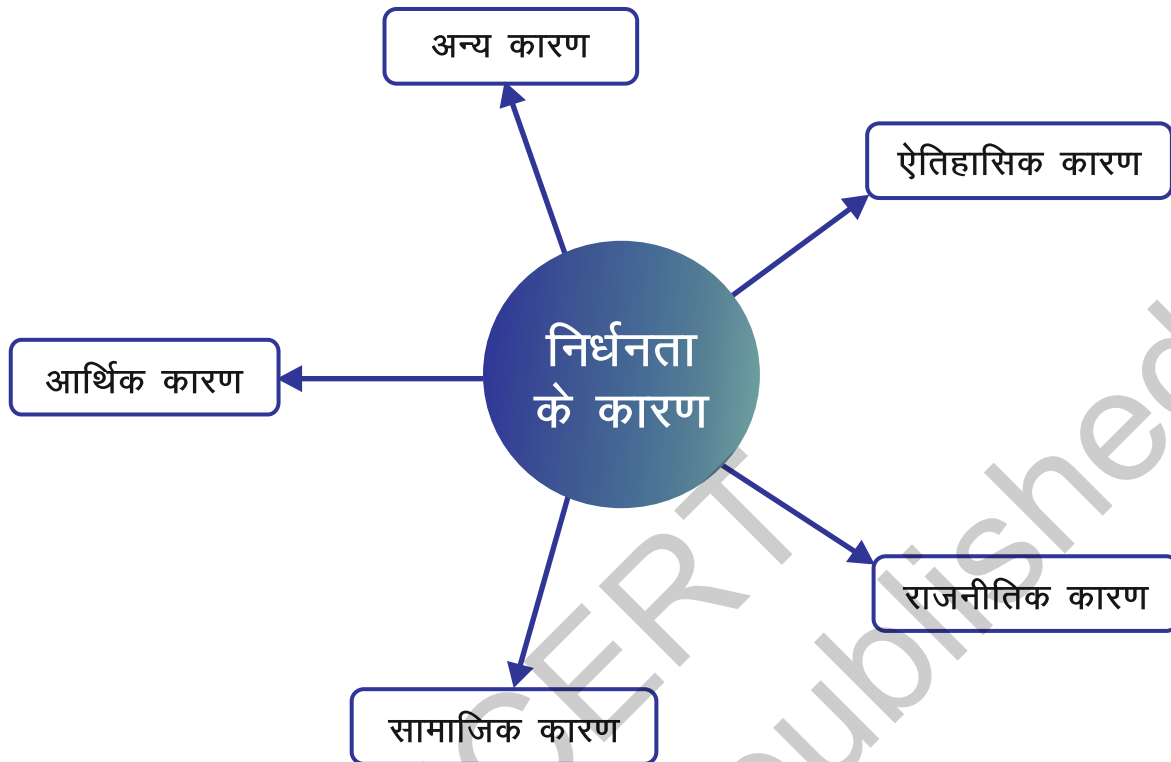
स्रोत : विश्व बैंक आंकड़े



स्रोत : विश्व बैंक के आकड़े



स्रोत : विश्व बैंक के आकड़े



8. निर्धनता के कारण :-

भारत में निर्धनता के कारणों को पांच वर्गों में बांट सकते हैं :-

8.1 ऐतिहासिक कारण :-

- भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा उनकी नीतियों ने करोड़ों भारतीयों को निर्धन बना दिया।
- भारत के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग यहां के विकास के लिए ना कर ब्रिटेन के विकास के लिए किया गया।
- अंग्रेजी राज में ग्रामीणों पर कर का भार बहुत अधिक बढ़ा दिया गया।
- किसानों को अपने उत्पाद सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर किया गया।
- अंग्रेजी राज में बड़े स्तर पर वि-औद्योगिकीकरण हुआ।
- इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों का आयात कर भारतीय कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया गया। भारत कपड़े के स्थान पर सूती धागों का निर्यातक होकर रह गया।

8.2. भारत में निर्धनता के राजनीतिक कारण :-

स्वतन्त्रता के बाद देश के राजनेताओं ने भारत के सर्वांगीण विकास के प्रयास सच्चे मन से नहीं किये। लोगों का वोट के रूप में प्रयोग किया और सत्ता में आने पर वास्तविक दायित्व भूल गये। राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण देश की आर्थिक स्थिति कमजोर रह गयी।

8.3. भारत में निर्धनता के सामाजिक कारण :-

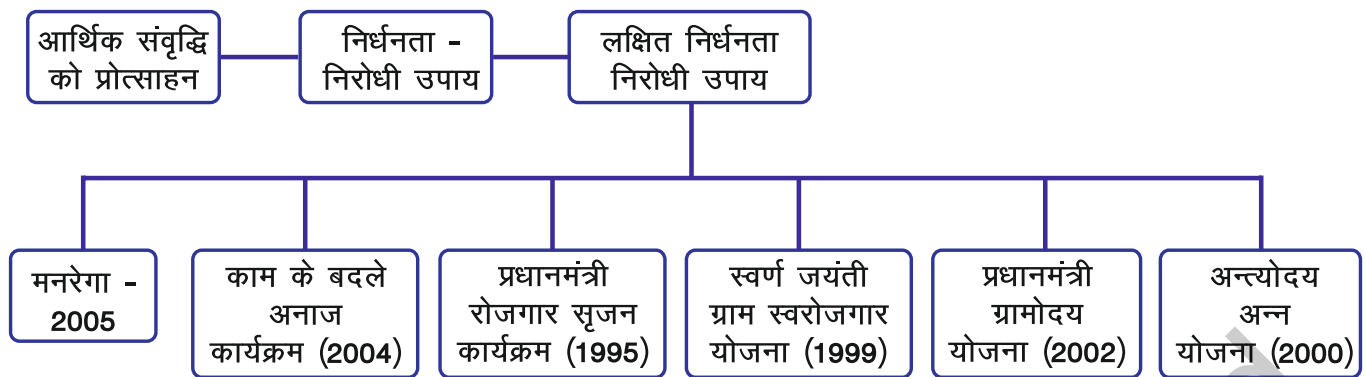
परम्पराएँ, कुप्रथाएँ, आराम पसंदगी, सामाजिक विषमताएं भेदभाव, पूर्वाग्रह, जातिवाद जैसे सामाजिक कारक भी लोगों की गरीबी के कारण होते हैं जो न सिर्फ रोजगार के अवसरों को वरन कुल आय को भी प्रभावित करते हैं। गरीबी का सबसे बड़ा कारण अति जनसंख्या है। भारत की सामाजिक प्रथाएं दहेज प्रथा, धार्मिक उन्माद, अंध विश्वास तथा अशिक्षा आदि भी महत्वपूर्ण कारण हैं।

8.4. भारत में निर्धनता के आर्थिक कारण :-

1. जनसंख्या वृद्धि
2. आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि
3. बेरोजगारी
4. तकनीक और कौशल का अभाव
5. प्रशिक्षण संस्थानों की कमी
6. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का अभाव
7. उद्योगों का अभाव

8.5. निर्धनता से संबंधित अन्य कारण रु—

- भूमिहीनता
- परिवार का आकार
- खराब स्वास्थ्य कुपोषण
- असहायता
- बेरोजगारी
- निरक्षरता
- बाल श्रम



9. निर्धनता - निरोधी उपाय :-

निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों पर निर्भर है।

- (1) आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन
- (2) लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम

9.1 आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन :-

- आजादी के बाद सबसे पहले इसी रणनीति पर कार्य हुआ।
- नीति निर्धारकों का मानना था कि तीव्र आर्थिक समृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी।
- आय वृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा तथा निर्धनता दूर होगी।
- हरित क्रांति तथा बड़े उद्योगों का विकास कर आर्थिक समृद्धि का मॉडल अपनाने की कोशिश हुई।
- इसके परिणाम बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहे।
- तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय के प्रभाव को समाप्त कर दिया।

9.2 लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम :-

आर्थिक समृद्धि का लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाया जिसके बाद नीति निर्धारकों को लगा कि अतिरिक्त परिसंपत्ति और रोजगार सृजन के साधनों द्वारा आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इससे गरीबी कम हो सकती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966) से

10. कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

- 1 – महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभिनियम 2005 (मनरेगा)
- 2 – राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (2004)
- 3 – प्रधानमंत्री रोजगार योजना (1993)
- 4 – ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (1995)
- 5 – स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999)
- 6 – प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000)
- 7 – अन्त्योदय अन्न योजना (2000)

10.1 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभिनियम 2005 (मनरेगा) :-

- (A) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभिनियम – 2005 (नरेगा) 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में लागू किया गया।
- (B) नरेगा 1 अप्रैल 2008 को भारत के सभी जिलों में लागू हुआ।
- (C) 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभिनियम 2005 (मनरेगा) कर दिया गया।
- (D) इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना है।
- (E) इसके अन्तर्गत साल में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गयी है।
- (F) इसमें एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है।
- (G) इसमें आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।
- (H) इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान।

10.2 राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (2004) :-

योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है, जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

10.3 प्रधानमंत्री रोजगार योजना (1993) :-

प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है।

10.4 ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (1995) :-

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था।

10.5 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999) :-

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायिकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है।

10.6 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000) :-

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000) के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

10.7 अन्त्योदय अन्न योजना (2000) :-

अन्त्योदय अन्न योजना, राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले 'गरीबी रेखा से नीचे' (बीपीएल) के परिवारों में से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करके अत्यधिक रियायती दर पर यानी 2 रु. प्रति किलो गेहूँ और 3 रु. प्रति किलो चावल उपलब्ध कराती है।

11. भावी चुनौतियाँ :-

भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले दस से पंद्रह वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक संवृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तीकरण के कारण संभव हो सकेगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न:

- मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है?
 - प्रधानमंत्री रोजगार योजना
 - ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
 - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- भारत के उस योजना का नाम जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं द्वा
 - प्रधानमंत्री रोजगार योजना
 - प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

- c. अंत्योदय अन्न योजना
d. ग्रामीण रोजगार विकास योजना
3. वह राज्य जहां सबसे कम संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं
a. पंजाब b. गोवा c. जम्मू कश्मीर d. हिमाचल प्रदेश
4. भारत का वह राज्य जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं?
a. बिहार b. मध्य प्रदेश c. उत्तर प्रदेश d. गोवा
5. मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध होता है?
a. 100 दिन b. 50 दिन c. 200 दिन d. 20 दिन
6. निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?
a. आय और उपभोग से b. भुखमरी से
c. बेरोजगारी से d. इनमें से कोई नहीं
7. स्वतंत्र भारत की सबसे प्रमुख समस्या क्या है?
a. अर्थव्यवस्था b. आतंकवाद c. गरीबी d. जातिवाद
8. भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से निर्धनता रेखा का निर्धारण कब किया गया?
a. 1955 b. 1971 c. 1986 d. 1995
9. भारत में गांव में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता है?
a. 2100 b. 2400 c. 1000 d. 5000
10. भारत में शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता है ?
a. 2100 b. 2400 c. 1800 d. 2200
11. मौद्रिक आय आकलन 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उस परिवार की मासिक आय लगभग _____ रुपए होगी।
a. 5000 b. 4080 c. 6000 d. इनमें से कोई नहीं
12. निर्धनता रेखा का निर्धारण कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है?
a. 5 वर्ष b. 10 वर्ष c. 15 वर्ष d. 12 वर्ष
13. निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके सर्वे द्वारा किया जाता है?
a. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
b. राष्ट्रीय आय योजना
c. योजना आयोग
d. इनमें से कोई नहीं

14. NSSO गरीबी रेखा से संबंधित कौन सा कार्य करता है?
 a. योजना b. सर्वे c. परियोजना d. कोई नहीं
15. वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात कितना है?
 a. 45 b. 37 c. 22 d. 50
16. भारतीय गरीबों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन है?
 a. अनुसूचित जनजाति b. अनुसूचित जाति c. कृषक d. उद्योगपति
17. निम्न में से भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है?
 a. केरल b. बिहार c. गोवा d. राजस्थान
18. विश्व बैंक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गरीबी मापन की मुद्रा क्या है?
 a. डॉलर b. रुपया c. यूरो d. इनमें से कोई नहीं
19. निम्नांकित में से कौन निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है।
 a. मनरेगा b. प्रधानमंत्री रोजगार योजना
 c. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम d. सभी
20. काम के बदले अनाज योजना किस को समाप्त करती है –
 a. गरीबी b. जातिवाद
 c. बेरोजगारी d. इनमें से कोई नहीं
21. मनरेगा को कब लागू किया गया?
 a. 2005 b. 2006 c. 2008 d. 2010
22. अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया?
 a. 2000 b. 2005 c. 2006 d. 2010
23. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ किया गया ?
 a. 1996 b. 1995 c. 1999 d. 2005

1-d, 2-c, 3-b, 4-a, 5-a, 6-a, 7-c, 8-b, 9-b, 10-a, 11-b, 12-a, 13-a, 14-b, 15-c, 16-a, 17-b, 18-a, 19-d, 20-a, 21-b, 22-a, 23-c.

प्रश्नोत्तर:

प्रश्न 1. भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?

उत्तर: निर्धनता को मापने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि को मुख्य माना जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित हैं। खाद्य वस्तुएँ जैसे अनाज, दालें, आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रतिमाह किया गया था।

प्रश्न 2. क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है?

उत्तर: वर्तमान निर्धनता अनुमान कार्य पद्धति पर्याप्त निर्वाह स्तर की अपेक्षा न्यूनतम निर्वाह स्तर को महत्व देती है। सिंचाई और हरित क्रांति के फैलाव ने कृषि के क्षेत्र में कई नौकरियों के अवसर दिये परंतु भारत में इसका प्रभाव कुछ ही भागों तक सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों ने नौकरियों के अवसर दिये हैं। परंतु ये नौकरी लेने वालों की अपेक्षा काफी कम हैं। निर्धनता को विभिन्न संकेतकों के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे—अनपढ़ता का स्तर, कुपोषण के कारण सामान्य प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुँच, नौकरी के कम अवसर, पीने के पानी में कमी, सफाई व्यवस्था आदि। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर निर्धनता का विश्लेषण अब सामान्य है।

प्रश्न 3. भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।

उत्तर: भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55 प्रतिशत से वर्ष 1993 में 36 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 26 प्रतिशत पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों 1973-93 में गिरा है, निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमानय निर्धनों की संख्या में लगभग 26 करोड़ की कमी उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं।

प्रश्न 4. भारत में निर्धनता में अंतर—राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर: भारत में निर्धनता के कारण अग्रलिखित हैं:—

- (क) औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्त-शिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी।
- (ख) भारतीय सरकार दो बातों में असफल रही आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जो निर्धनता चक्र को स्थिर कर सकते हैं।
- (ग) सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए। लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महुँगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक तत्व जैसे—जाति, लिंग भेद और सामाजिक अपवर्जन जो मानव निर्धनता को बढ़ाते हैं।
- (घ) छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं।
- (ङ) आय असमानता भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है।

प्रश्न 5. उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं।

उत्तर: जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इस प्रकार, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है।

प्रश्न 6. भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए।

उत्तर: प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। दूसरी ओर, निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43 प्रतिशत निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। इन राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की निर्धनता का औसत अधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ

नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अनाज का सार्वजनिक वितरण, मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान, अधिक कृषि विकास, भूमि सुधार उपायों से इन राज्यों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है।

प्रश्न 7. वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।

उत्तर: विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करने वालों का अनुपात 1990 के 28 प्रतिशत से गिर कर 2001 में 21 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि 1980 से वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें वृहत क्षेत्रीय भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घट कर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई है। दक्षिण एशिया के देशों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्ला देश, भूटान) में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। जबकि लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात पहले जैसा ही है, सब-सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 के 41 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 46 प्रतिशत हो गई है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया, बांग्ला देश और भारत में अब भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी।

प्रश्न 8. निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें।

उत्तर: सरकार की वर्तमान निर्धनता-निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों पर आधारित है:-

- (क) आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन: विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक संवृद्धिदर विश्व में सबसे अधिक रही। संवृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक 1 में 6 प्रतिशत के करीब पहुँच गई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है।
- (ख) लक्षित निर्धनता-निरोधी कार्यक्रम: सरकार ने निर्धनता को समाप्त करने के लिए कई निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एन.आर. ई.जी.ए.), प्रधानमंत्री रोजगार योजना(पी.एम.आर.वाई.), ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम. जी.वाई.), अंत्योदय अन्न। योजना (ए.ए.वाई.), राष्ट्रीय काम के बदले अनाज।

प्रश्न 9. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें :—

(क) मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं?

(ख) निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन हैं?

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर:

(क) 'मानव निर्धनता की अवधारणा केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का 'उचित स्तर न मिलना। अनपढ़ता, रोजगार के अवसर में कमी, स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं और सफाई व्यवस्था में कमी, जाति, लिंग भेद आदि मानव निर्धनता के कारक हैं।

(ख) महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को अति निर्धन माना जाता है क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) की विशेषताएँ अग्रलिखित हैं—

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) को सितंबर 2005 में पारित किया गया।
- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है।
- प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया।
- प्रस्तावित रोजगारों का एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है।
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा।